राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
जयपुर, दिनांक : 22 JAN 2026

सं. एफ. 4(3)वित/कर/2018-125:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प. 4(3)वित/कर/2018-125 दिनांक 06.01.2026 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
"अधिसूचना
जयपुर, दिनांक : जनवरी 06, 2026

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (viii-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2018-204 दिनांक 20.03.2018 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 4 के अधीन स्थापित बोर्ड को इसके द्वारा मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

(सं. एफ. 4(3)वित/कर/2018-125)
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(नथमल डिडेल)
विशिष्ट शासन सचिव''

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सहित आसाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपको प्रकाशन के लिए प्रेषित सॉफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी एक समान हैं।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (कराधान), राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
8. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव